

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

संक रीडर/2022/ 43

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 12.1.23

1 वालाराम पुत्र रावताराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी नैनवा शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


1 कवरायाम पुत्र गिरधारीराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी नैनवा शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 82/2022

दिनांक- 06/01/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नैनवा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1258/349 रकबा 03.00 बीघा, खसरा संख्या 346 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 1246/347 रकबा 121.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक- 12.1.2023

क्रमांक :- रीडर/2022/ 44-47

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. वालाराम पुत्र रावताराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी नैनवा शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कवरायाम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी नैनवा, शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

